भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2200

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआई योजना कवरेज का विस्तार

2200. श्री वाई.एस.अवनिश रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ईएसआई योजना के अंतर्गत लाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं (एमजीएनआरईजीएस) के अधिक श्रमिकों तक ईएसआई योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 मौसमी कारखानों को छोड़कर उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं और अधिसूचित क्षेत्र में 21,000 रुपये प्रति माह (विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये) तक मजदूरी प्राप्त करते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में कर्मचारी के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार प्रतिष्ठान की श्रेणी में नहीं आती है।

ईएसआई योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i) ईएसआईसी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग किया है ताकि देश में पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को उन स्थानों पर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें, जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

जारी...2/-

(ii) लाभार्थियों के लिए स्थायी निःशक्तता लाभ (पीडीबी)/आश्रित लाभ (डीबी) की दरों में वृद्धि की गई है।

(iii) उन सेवानिवृत्ति लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देखभाल (एसएसटी सहित) प्रदान करने के लिए एक नई योजना अनुमोदित की गई है जिन्होंने ईएसआईसी में अंशदान दिया है लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले कवरेज से बाहर हो गए हैं।

(iv) बीमित व्यक्तियों (आईपी) और उनके परिवार के ब्यौरों को अद्यतन/संशोधित करने के लिए ऑनलाइन माड्यूल शुरू किया गया है।

v) लाभार्थियों को चिकित्सा और नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के आधार पर आधारित प्रमाणीकरण को अपनाया गया है।

(vi) बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को सुगमतापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/सुविधा शुरू की गई है।

****